

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/1/1/ख/432 पार्ट/6818  
प्रति,

भोपाल दिनांक 28/07/2021

- 1- संयुक्त संचालक/उप संचालक  
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
आंचलिक कार्यालय भोपाल/उज्जैन/  
रीवा/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर
- 2- कार्यपालन यंत्री  
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
भोपाल संभाग क्रमांक-02 तकनीकी संभाग भोपाल /इंदौर /उज्जैन /  
जबलपुर / ग्वालियर /सागर /रीवा /होशंगाबाद /सिवनी /मुरैना/  
खरगोन/मंदसौर।
- 3- भारसाधक अधिकारी/सचिव  
कृषि उपज मण्डी समिति  
.....जिला .....(समस्त)

विषय :- शासकीय सेवकों की 01 जुलाई 2021 एवं 01 जनवरी 2022 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि के संबंध में।

संदर्भ :- म. प्र. शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 898/2020/नियम/चार दिनांक 29 जुलाई-2020 यथा संशोधित दिनांक 30.07.2020 एवं मण्डी बोर्ड का पत्र क्रमांक बी-1/1/ख/432 पार्ट/2060 दिनांक 29.07.2020।

—000—

म. प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1259/2021/नियम/चार दिनांक 26 जुलाई-2021 के द्वारा सेवकों की 01 जुलाई 2021 एवं 01 जनवरी 2022 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। (ज्ञाप की छायाप्रति संलग्न है)

अतः आंचलिक मण्डी बोर्ड कार्यालय, कृषि उपज मण्डी समितियों में राज्य मण्डी बोर्ड सेवा/मंडी समिति सेवा के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को तदनुसार 01 जुलाई 2021 एवं 01 जनवरी 2022 को पात्रतानुसार देय वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृति की कार्यवाही करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

अपर संचालक (कार्मिक)  
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

भोपाल दिनांक 28/07/2021

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/1/1/ख/432 पार्ट/6819  
प्रतिलिपि :-

- 1- अपर संचालक (वित्त) मण्डी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
- 2- उप संचालक (वित्त) मण्डी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।  
सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित।

अपर संचालक (कार्मिक)  
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

दिनांक 1 जुलाई 2021/नियम/चार दि.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 2021

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वागियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।

विषय :- शासकीय सेवकों की 1 जुलाई, 2021 एवं 1 जनवरी, 2022 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि के संबंध में स्पष्टीकरण।  
संदर्भ :- वित्त विभाग के परिपत्र क. 898/2020/नियम/चार दि. 29-7-2020 यथा संशोधित दिनांक 30.07.2020

-----

संदर्भित परिपत्र में शासकीय सेवकों की दिनांक 01 जुलाई, 2020 एवं 01 जनवरी, 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से दिये जाने के निर्देश हैं।

2/ जुलाई 2021 एवं जनवरी 2022 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में कतिपय विभागों द्वारा वित्त विभाग से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है। वार्षिक वेतनवृद्धि जुलाई/जनवरी माह में देय होती हैं। राज्य शासन द्वारा मूलभूत नियम-24 के अन्तर्गत उक्त वेतन वृद्धियों को स्थगित करने/रोकने के आदेश जारी नहीं किये गये हैं, अतः शासकीय सेवकों को इन वार्षिक वेतनवृद्धियों का पात्रतानुसार भुगतान किया जाना है।

3/ माह जुलाई 2021/ जनवरी 2022 की वार्षिक वेतनवृद्धि को निम्नानुसार प्रणय किया जाये।

उदाहरणार्थ :-


1. शासकीय सेवक का वेतनमान - लेवल -12 (56100-177500)
2. जून 2020 में मूल वेतन - ₹. 69,000
3. 01 जुलाई 2020 में काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि - ₹. 71,100 (जिसका वास्तविक भुगतान नहीं हुआ)
4. 01 जुलाई 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि- ₹. 73,200 (जुलाई 2020 की काल्पनिक वेतनवृद्धि सम्मिलित करते हुये)

जिन शासकीय सेवकों की वार्षिक वेतनवृद्धि जनवरी 2022 में देय होगी उनके संबंध में भी गणना उपरोक्तानुसार की जाये।

4/ जुलाई, 2020 / जनवरी, 2021 की वेतनवृद्धि के वित्तीय लाभ/एरियस की राशि के संबंध में पृथक से निर्णय प्रसारित किया जायेगा।

5/ राज्य शासन के अधीन समस्त उपक्रम/निगम/मण्डल/ स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण/ आयोग/विश्वविद्यालय आदि के कार्मियों को भी जुलाई 2020 / जनवरी 2021 की वार्षिक वेतनवृद्धि तत्समय देय नहीं रही थी। अतः इस संबंध में निर्देश संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी किये जायेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(अखिल कुमार वर्मा)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग

विषय:-

- (1) राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल
  - (2) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
  - (3) मुख्य सचिव के खाफ. ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
  - (4) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानमण्डल, भोपाल
  - (5) सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
  - (6) निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
  - (7) सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर
  - (8) सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
  - (9) निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश राज्य शासन भोपाल
  - (10) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
  - (11) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
  - (12) महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर
  - (13) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
  - (14) अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
  - (15) आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
  - (16) आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
  - (17) समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
  - (18) समस्त प्राचार्य, लेखा परीक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
  - (19) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल ।
  - (20) अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
  - (21) समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश
  - (22) गार्ड फाईल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

(विवेक कुमार धारू)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग